

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर

खंड XXII

अंक 06

सितंबर 2026



I. विनियमन



विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-2
II. पर्यवेक्षण	3
III. वित्तीय बाजार	3
IV. प्रकाशन	3-4
V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4



संपादक की कलम से

मॉनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू के सितंबर अंक में सुदृढ़ संस्थागत परिवर्तन करने, संरचनात्मक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने तथा वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक प्रगति को निरंतर दिशा देने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका को रेखांकित किया गया है। इस अंक में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का तीसरा सम्मेलन, संदिग्ध धोखाधड़ी तथा अवैध धनवाहक खातों में लेनदेन रोककर संभावित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य हेतु प्रस्तावित मसौदा निदेशों सहित अवैध धनवाहकों से निपटने संबंधी विनियामकीय निदेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों की सूची में एक बैंक को शामिल किए जाने, बाजार जोखिम संबंधी न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं पर अंतिम निदेश जारी किए जाने तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग संबंधी मानकों के अनुपालन का आकलन करने वाले पर्यवेक्षी मानदंडों के निर्गम संबंधी विषय भी इस अंक में सम्मिलित हैं। ये मानदंड रिपोर्टिंग की सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और एकरूपता का आकलन करते हैं।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को <https://www.rbi.org.in/> पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में 1 सितंबर 2026 को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 1 सितंबर 2026 को अपने नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे और श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू; श्री शिव पाल सिंह, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस); विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों तथा आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर ने यूसीबी में सुदृढ़ अभिशासन और संस्थागत क्षमता, आरबीआई और आरसीएस/सीआरसीएस के बीच घनिष्ठ समन्वय और यथासमय आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी और मनी-म्यूल खातों से निपटने के लिए सुदृढ़ नियंत्रण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और मिशन सक्षम को इस क्षेत्र में क्षमता संवर्धन की पहल के रूप में संदर्भित किया। श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू, उप गवर्नर ने कहा कि यद्यपि भारत में सहकार की गहरी जड़ें हैं, तथापि एक सहकारी समिति, जिसे एक बार बैंक के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता है, के पास अधिक जिम्मेदारियां और जवाबदेही होती है। उन्होंने पेशेवर और फिट-एंड-प्रॉपर बोर्डों और वरिष्ठ प्रबंधन, सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, अधिकाधिक प्रौद्योगिकी अपनाने और कमजोर यूसीबी के समय पर समाधान के महत्व पर जोर दिया।

श्री शिवपाल सिंह, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) ने सहकारी अधिकारियों और आरबीआई के बीच गहनतर समन्वय, यूसीबी के निरंतर व्यवसायीकरण और परिसमापन के अंतर्गत बैंकों के समय पर समाधान पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान प्रमुख अभिशासन तथा यूसीबी से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें आरबीआई एवं निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) संबंधी अपेक्षाएं शामिल थीं।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में 'कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड' को शामिल करना

दिनांक 28 जुलाई 2026 की अधिसूचना DoR.LIC.No.S3539/22-03-070/2026-27 के माध्यम से कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है तथा भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया गया है।

फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामक संगठन(एसआरओ-एफ़टी) की मान्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अगस्त 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट (एफ़एसीई) को फिनटेक क्षेत्र में प्रथम स्वयं-विनियामक संगठन (एसआरओ-एफ़टी) के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तदुपरांत, आरबीआई को यूनिफाइड फिनटेक फोरम (यूएफ़एफ़) से एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन की जांच, रूपरेखा की अपेक्षाओं के संदर्भ में की गई तथा यूएफ़एफ़ (CIN नं. U91990KA2016NPL096977) को एसआरओ-एफ़टी के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।

आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए) संशोधन निदेश, 2026” पर टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानिए’ (केवाईसी) निदेश, 2025 में ‘बैंक खातों के परिचालन और अवैध धन वाहक (मनी-म्यूल)’ संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 4 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा रिज़र्व बैंक को एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाने और उसे परिचालित करने का निर्देश दिया है, जिसमें अवैध धन वाहक गतिविधि और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े खातों या खातों के डेबिट पर अस्थायी रोक लगाने के लिए बैंकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण किया गया है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया है, जिनमें अपने केवाईसी निदेश, 2025 में निर्धारित बैंक खातों के परिचालन और अवैध धन वाहक पर मौजूदा निदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है तथा एसओपी के अनुसार अवैध धन वाहक गतिविधि और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े खातों या खातों के डेबिट पर अस्थायी रोक लगाने के लिए बैंकों को कार्रवाई करने की सूचना दी गई है।

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए) संशोधन निदेश, 2026

सार्वजनिक परामर्श / प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू संशोधन निदेशों का समेकित मसौदा जारी किया जा रहा है। प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच करने पर, उपर्युक्त प्रकार की विनियमित संस्थाओं के लिए अलग से अंतिम निदेश जारी किए जाएंगे।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण

आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 सितंबर 2026 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से यह सूचित किया है कि बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पाँच कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए बासेल III के अंतर्गत बाज़ार जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षाओं संबंधी निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 फरवरी 2023 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बासेल III के अंतर्गत बाज़ार जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं संबंधी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया था। उक्त दिशानिर्देशों के मसौदे में संशोधित बासेल III रूपरेखा के अंतर्गत बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा की गणना के लिए सरलीकृत मानकीकृत दृष्टिकोण (एसएसए) अपनाने का प्रस्ताव किया गया था। दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और तदनुसार आवश्यक संशोधनों को अंतिम निदेशों में समुचित रूप से शामिल किया गया है। दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण [अनुलग्नक](#) में दिया गया है। तदनुसार, [भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘भारतीय रिज़र्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंक - बाज़ार जोखिम हेतु न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं\) निदेश, 2026’ जारी किए हैं।](#)

इन निदेशों का उद्देश्य संशोधित बासेल III रूपरेखा के अनुरूप बाज़ार जोखिम संबंधी दिशानिर्देशों को सुव्यवस्थित करना है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासेल मानकों को अपनाए जाने के क्रम में किया गया है तथा इसका उद्देश्य विनियमावली को सरल बनाना, सहूलियत प्रदान करना और उन्हें अपनाने में सुविधा प्रदान करना है। उक्त निदेश 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे, जिससे बैंकों को तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सुगम प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2024 से अंतरिम (प्रसारण) गुणक प्रभावी हैं। दिशानिर्देशों के मसौदे की तुलना में अंतिम निदेशों में किए गए प्रमुख परिवर्तनों का सारांश निम्नानुसार है:

(1) ट्रेडिंग बही का दायरा: निवेश संबंधी निदेशों में ‘ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)’ लेखांकन उप-वर्गीकरण के अंतर्गत ट्रेडिंग बही की स्पष्ट पहचान योग्य परिभाषा दी गई है। अतः ट्रेडिंग बही की परिभाषा संबंधी अनुदेशों को अंतिम निदेशों से हटा दिया गया है और निवेश संबंधी निदेशों का संदर्भ दिया गया है।

(2) नेट ओपेन पोजीशन और विदेशी मुद्रा जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार: [भारतीय रिज़र्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंक—पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड\) दसवां संशोधन निदेश, 2026](#) में दिए गए संशोधित अनुदेशों को समुचित रूप से शामिल किया गया है।

(3) ब्याज दर जोखिम के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार: ब्याज दर जोखिम से संबंधित विशिष्ट जोखिम सारणियों को बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) के दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया है। इससे इनका निष्पादन अधिक संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित हो गया है।

(4) ट्रेडिंग बही में शामिल डेट म्यूचुअल फंड / एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ): अंतर्निहित जोखिम चालकों के आधार पर पूंजी की गणना सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए पूंजी संबंधी निष्पादन को संशोधित किया गया है।

(5) क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा हेज की गई पोजीशन के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी अपेक्षा: अनुदेशों को संशोधित कर उन पोजीशन के निष्पादन को शामिल किया गया है जिन्हें कुल प्रतिलाभ स्वैप के माध्यम से हेज किया गया है। यह [‘मास्टर](#)

निदेश—भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट डेरिवेटिव) निदेश, 2026' के अंतर्गत अनुमत है।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

II. पर्यवेक्षण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (जून 2026)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने जून 2026 हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) जारी किया है। यह पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए विवरणियाँ और माइक्रो-डेटा प्रस्तुत करने में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और एकरूपता के संदर्भ में डेटा की गुणवत्ता को मापता है। एसडीक्यूआई का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पर्यवेक्षी विवरणियाँ) निदेश, 2026 और भारतीय रिज़र्व बैंक (छोटे वित्त बैंक – पर्यवेक्षी विवरणियाँ) निदेश, 2026 में वर्णित सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन करना है।

III. वित्तीय बाज़ार

अक्तूबर 2026 - मार्च 2027 के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर

संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (1 अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को जारी किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

अक्तूबर 2026 - मार्च 2027 के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2026 से मार्च 2027) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी तब भारतीय रिज़र्व बैंक नए बाज़ार ऋणों को जारी कर सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, डब्ल्यूएमए सीमा को संशोधित करने की छूट होती है।

अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट पर व्याज दर निम्नानुसार होगी:

क. अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ख. ओवरड्राफ्ट: रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर [राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम \(डब्ल्यूएमए\) पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट](#) प्रकाशित की है।

रिज़र्व बैंक ने श्री आई एस एन प्रसाद, पूर्व अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया था। इस सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य-वार डब्ल्यूएमए सीमाओं और राज्यों के लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय सुविधाओं की समीक्षा शामिल थी।

समिति ने विभिन्न अनुशंसाएँ की हैं, जिन पर रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।

IV. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन – सितंबर 2026

रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का [सितंबर 2026](#) का अंक जारी किया। इस बुलेटिन में सात भाषण, तीन आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

उपर्युक्त तीन आलेखों के शीर्षक इस प्रकार हैं : I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. ऋण-जमा विचलन: तुलन-पत्र का विश्लेषण; और III. निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2025-26 में संवृद्धि तथा 2026-27 की संभावना।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बार फिर बढ़ती ऊर्जा कीमतों और वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी हुई अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर जारी उथल-पुथल के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की। उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों से स्पष्ट है कि अगस्त माह के दौरान भी अर्थव्यवस्था आघात-सह बनी रही। सुदृढ़ निर्यात वृद्धि के समर्थन से वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार घाटा कम हुआ। खाद्य और पेय पदार्थ समूह के कारण अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई, साथ ही ईंधन और मुख्य घटकों में भी वृद्धि हुई। एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अंतर्वाह के बाद प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में तीव्रता से वृद्धि हुई। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मध्यम चालू खाता घाटे और मजबूत एफडीआई अंतर्वाह ने बाह्य क्षेत्र को समर्थन दिया तथा विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियाँ

2026-27 की पहली तिमाही में भारत के वीओपी की मुख्य विशेषताएं

- I. भारत का चालू खाता अधिशेष 2026-27 की पहली तिमाही में 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) रहा, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह 3.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (जीडीपी का 0.4 प्रतिशत) था।
- II. 2026-27 की पहली तिमाही में वस्तु व्यापार घाटा 86.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2025-26 की पहली तिमाही के 68.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक था।
- III. 2026-27 की पहली तिमाही में निवल सेवा प्राप्तियाँ एक वर्ष पहले के 47.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 51.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गईं।
- IV. कंप्यूटर सेवाओं, अन्य कारोबारी सेवाओं तथा परिवहन सेवाओं जैसी प्रमुख श्रेणियों में सेवाओं के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ोतरी हुई है।

V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

अगस्त 2026 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	रिज़र्व बैंक की स्वैप सुविधा के अंतर्गत एफसीएनआर (बी) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) के माध्यम से आने वाले विदेशी मुद्रा का डेटा
2	एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जुलाई 2026
3	भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2026 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी / आरडीबी संबंधी आंकड़े जारी किए
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण के सितंबर 2026 दौर की शुरुआत
5	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के सितंबर 2026 दौर की शुरुआत
6	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण सितंबर 2026 दौर की शुरुआत
7	दिनांक 31 अगस्त 2026 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
8	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात पर सर्वेक्षण: 2025-26
9	रिज़र्व बैंक की स्वैप सुविधा के अंतर्गत एफसीएनआर (बी) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) के माध्यम से आने वाले विदेशी मुद्रा का डेटा
10	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – अगस्त 2026
11	जून 2026 के अंत में भारत का बाह्य ऋण
12	अगस्त 2026 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
13	वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए भारत की अदृश्य मदों पर आंकड़े
14	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – सितंबर 2026
15	(पीईआईआ) तथिसि शेवन यीष्टाररतंतीक तराभ, नजु2026
16	अगस्त 2026 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

- V. प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय, जो मुख्य रूप से निवेश आय के भुगतान को दर्शाती है, 2026-27 की पहली तिमाही में घटकर 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- VI. द्वितीयक आय खाते के अंतर्गत व्यक्तिगत धन अंतरण प्राप्ति, जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा किए गए विप्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 42.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह 33.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- VII. वित्तीय खाते में, 2026-27 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो 2025-26 की पहली तिमाही के 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह से अधिक है।
- VIII. 2026-27 की पहली तिमाही में विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही के 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया था।
- IX. अनिवासी जमा (एनआरआई जमा) ने, 2025-26 की पहली तिमाही के 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह की तुलना में, 2026-27 की पहली तिमाही में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया।
- X. अनिवासी जमा (एनआरआई जमा) ने, 2025-26 की पहली तिमाही के 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह की तुलना में, 2026-27 की पहली तिमाही में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया।
- XI. 2026-27 की पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बीओपी के आधार पर) की कमी आयी, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

अप्रैल-जून 2026 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में परिवर्तन के स्रोत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर [पहली तिमाही](#), अर्थात् अप्रैल-जून 2026 के लिए [भुगतान संतुलन \(बीओपी\) संबंधी आंकड़े](#) जारी किए।

भुगतान संतुलन के आधार पर (अर्थात्, मूल्यन प्रभावों को छोड़कर), अप्रैल-जून 2025 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की तुलना में वर्ष अप्रैल-जून 2026 के दौरान 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सांकेतिक आधार पर (अर्थात् मूल्यन प्रभावों सहित) अप्रैल-जून 2026 के दौरान 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई, जबकि अप्रैल-जून 2025 इसमें 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई थी।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।